03 अगस्त, 2026

सार्वजनिक सूचना

PACL लिमिटेड के निवेशकों के लिए क्लेम एप्लीकेशन का स्टेटस/कमी चेक करने और बैंक अकाउंट से जुड़ी कमियों को ठीक करने की सुविधा – समय-सीमा में बढ़ोतरी।

1. जस्टिस (रिटायर्ड) आर. एम. लोढ़ा कमिटी PACL के निवेशकों को पैसे रिफंड दे रही है। हालाँकि, कुछ कमियों की वजह से कुछ आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हो सकी।

2. 07 मई, 2026 की सार्वजनिक सूचना के ज़रिए, कमेटी ने उन निवेशकों/आवेदको को मौका दिया था, जिनके क्लेम एप्लीकेशन बैंक वेरिफिकेशन फेल होने की वजह से अधूरे/गलत पाए गए थे, ताकि वे https://www.sebipaclrefund.co.in पर लॉग इन करके बैंक अकाउंट से जुड़ी कमियों को ठीक कर सकें। यह सुविधा निवेशकों/ आवेदको के लिए 07 मई, 2026 से 06 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध थी।

3. ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को मौका देने के लिए, बैंक अकाउंट से जुड़ी कमियों को ठीक करने की सुविधा की समय-सीमा को 06 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। इसके तहत, निवेशक/ आवेदक बैंक अकाउंट से जुड़ी कमियों को ठीक करने के लिए आवेदन 06 अक्टूबर, 2026 तक जमा कर सकते हैं।